



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.26(3)आरबी / 2020 / 3943

दिनांक : 22 जुलाई, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 19(3) व 19(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, तुलनात्मक, साहित्य और अनुवाद अध्ययन विभाग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता॥

(हरिभाऊ बागड़े)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.26(3)आरबी / 2020 / 3944

दिनांक : 22 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, तुलनात्मक, साहित्य और अनुवाद अध्ययन विभाग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात।
5. कुलगुरु, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी., राजभवन, जयपुर को राजभवन की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।



सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान